

## तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच गतरिोध

### प्रलिमिंस के लयि:

आंध्र प्रदेश पुनर्रगठन अधनियिम 2014, सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र सरकार की भूमकि।

### मेन्स के लयि:

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच गतरिोध, अंतरराज्यीय वविाद।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में आंध्र प्रदेश ने **आंध्र प्रदेश पुनर्रगठन अधनियिम, 2014** के तहत संपत्त और देनदारयों के "न्यायसंगत, उचित एवं समान वविाजन" की मांग करते हुए **सर्वोच्च न्यायालय** के समक्ष याचकि दायर की है।

## पृष्ठभूमि:

- 2 जून, 2014 को आंध्र प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी हस्से को अलग कर **तेलंगाना के रूप में 29वें राज्य का गठन कयि गया।**
- राज्य पुनर्रगठन अधनियिम (1956) के माध्यम से हैदराबाद राज्य के तेलुगू भाषी कषेत्रों को आंध्र प्रदेश राज्य के साथ वलिय कर** वसित्त आंध्र प्रदेश राज्य का नर्रमाण कयि गया।
- आंध्र प्रदेश पुनर्रगठन अधनियिम (2014)** ने आंध्र प्रदेश को दो अलग-अलग राज्यों अरथात् आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वविाजति कयि।
- अवविाजति आंध्र प्रदेश के वविाजन के आठ वर्ष से अधिक समय के बाद भी दोनों राज्यों के बीच संपत्त और दायतित्वों का आवंटन अस्पष्ट बना हुआ है क्योंकि प्रत्येक राज्य **आंध्र प्रदेश पुनर्रगठन अधनियिम 2014** के प्रावधानों की वक्तगित व्याख्या लागू करता है।

## संबंधति मुद्दे:

- 12 संस्थानों का अधनियिम में उल्लेख नहीं कयि गया है:**
  - इस नर्रिम में 245 संस्थान शामिल हैं जिनकी कूल स्थायी संपत्त का मूल्य 1.42 लाख करोड़ रुपए है।
  - अधनियिम की अनुसूची IX के अंतरगत **91 संस्थान और अनुसूची X के अंतरगत 142 संस्थान हैं।**
  - अधनियिम में उल्लिखित अन्य 12 संस्थाओं का वविाजन भी **राज्यों के बीच वविादास्पद** बना हुआ है।
- संपत्त और देनदारयों के वविाजन में देरी:**
  - आंध्र प्रदेश ने खेद वक्त कयि कि तेलंगाना सरकार ने शीला भडि की अध्यक्षता वाली वशिषज्ज समति द्वारा दी गई सफिरशों को चुनदि रूप से स्वीकार कर लयि था, जिसके परणामस्वरूप संपत्त और देनदारयों के वविाजन में देरी हुई थी।
    - समति ने अनुसूची IX के 91 संस्थानों में से 89 के वविाजन के संबंध में सफिरशों की हैं।
  - आंध्र प्रदेश का तर्क है कि वविाजन की प्रक्रया में तेज़ी लाने और इन संस्थानों के वविाजन को अंतिम रूप देने के लयि सफिरशों को जल्दबाज़ी में स्वीकार कर लयि गया।
- संपत्त के बँटवारे को लेकर वविाद:**
  - मुख्यालय की संपत्तयों का हस्सा न बनने वाली संपत्तयों के वविाजन को लेकर वशिषज्ज समति की सफिरशों को **तेलंगाना सरकार ने आलोचना करते हुए कहा कि यह पुनर्रगठन अधनियिम की भावना के खिलाफ है।**

## केंद्र की भूमकि:

- गृह मंत्रालय (MHA) ने वर्ष 2017 में मुख्यालय परसंपत्तयों के बारे में स्पष्टता प्रदान की।
- एक एकल व्यापक राज्य उपकरम (जसिमें मुख्यालय और परचालन इकाइयों शामिल हैं) जो वशिष रूप से एक स्थानीय कषेत्र में स्थति है या इसका संचालन एक स्थानीय कषेत्र में सीमति है, के मामले में गृह मंत्रालय का कहना है कि **इसे पुनर्रगठन अधनियिम की धारा 53 की उप-धारा (1) के अनुसार स्थान के आधार पर वविाजति कयि जाएगा।**

- अधुनलडड केंदुर सरकलर कुु आवशुडकतल डडने डर हसुतकुषेड करुने कल अधकलर देतल है ।

नुुतः

- सरवुुकुड नुुडलडलड अडने डूल अधकलर कुषेडुर डें रलकुडुुु के डीक ववलदुुु कल नरुणड करतल है ।
  - संवधलन के अनुकुषेद 131 के अनुसलर, डलरत सरकलर और एक डल अधकल रलकुडुुु के डीक डल डलरत सरकलर और कसलु डी रलकुड के डीक डल दुु डल दुु से अधकल रलकुडुुु के डीक कुुई डी ववलद सरवुुकुड नुुडलडलड कल डूल अधकलर कुषेडुर है ।
- संवधलन के अनुकुषेद 263 के तहत अंतररलकुडुुु डरडलड से ववलदुुु डर डुुषुतलकुष और सललल देने, सडुी रलकुडुुु के सलडलनुड वडलडुुु डर कुरकुल करुने और डेहतर नलत सडनुवड हेतु सडलरलशुुु करुने कल अडेकुषल कल डलतल है ।

## अंतररलकुडुुु ववलदुुु कुु सुलडुुलने हेतु डललः

- संवधलन दुवलरल अंतररलकुडुुु डरडलड कुु डुरदलन उतुतरदलडतुतुुु (अंतररलकुडुुु ववलदुुु के सडलधलन के संदरुड डें) कुु केवल कलडलकुुु डें नुुई डलकुल वलसुतवकलतल डें डुरल करुने कल आवशुडकतल है ।
  - इसल तरह सलडलडकल और आरुथकल डुुडनल, सीडल ववलद, अंतर-रलकुड डरवलहन आदल से संडंधतल डुरतुडेक कुषेडुर डें रलकुडुुु कल कुुनुुतडुुुु के संदरुड डें कुरकुल करुने हेतु कुषेडुरलड डरडलड कुु डलडुुुुु करुने कल आवशुडकतल है ।
- डलरत ववलधलतल डें एकतल कल डुरतुुक है । हललुुकल इस एकतल कुु और डलडुुुुु करुने के लडल केंदुर एवरलकुड सरकलरुुु दुुनुुु कुु सलहकलरल संघवलद के लुकलकलर कुु आतुडसलत करुने कल आवशुडकतल है ।

## UPSC सवलल सेवल डरलकुषल, वडलत वरुष के डुरशुन

डुरशुन. केंदुर और रलकुडुुु के डीक ववलदुुु कल डुुसलल करुने के लडल डलरत के सरवुुकुड नुुडलडलड कल शकुतलकलसलके अंतरगुत है? (2014)

- (a) सलललहकलर कुषेडुरलधकलर
- (b) अडुुुुुुु कुषेडुरलधकलर
- (c) डूल अधकलर कुषेडुर
- (d) रतल कुषेडुरलधकलर

उतुतरः (c)

[सरुुतः द हदुुल](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/stalemate-between-telangana-and-ap>